वाद सं. 72/21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म जो में जारी हुए

सरकार पैरोकार अधिवक्ता द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 23.3.21 को नोटिस जारी की गयी थी। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आदेशिका न तो वापिस प्राप्त कर के तामील होकर प्राप्त हुए है न ही अदम तामील प्राप्त हुए है। वादी को हिदायत दी जाती है कि वह आगामी 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रीकृत A.D नोटिस पुनः पेश करे। पत्रावली दिनांक 4/3/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

4/3/22 पत्रावली पेश है। सरकार पैरोकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांक 23/2/22 के द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस 7 दिवस में रजिस्ट्रीकृत A.D पर नोटिस तामीला पेश करने की हिदायत की गई है। परन्तु वादी के द्वारा आदेश की पालना में अप्रार्थीगण को नोटिस आदेशिका तक पेश नहीं की गई है इस प्रकार किसी भी पक्षकार को न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है अतः वाद वादी O9 R5 CPC के प्रावधानों के तहत खारिज तामील के लिए किया जाता है। पत्रावली कोर्ट रूम में लेकर दर्ज रजिस्टर के क्रम से एक बार तामील दाखिल दफ्तर हो।

04.03.22